RAJASTHAN GOVERNMENT
OFFICE PROJECT DIRECTOR, RAJASTHAN GOVERNMENT HEALTH SCHEME
(RAJASTHAN STATE HEALTH ASSURANCE AGENCY)
D-Block, 2nd Floor, Vitta Bhawan, Janpath, Jaipur, Pin code-302005
Ph.2740219, 2740252, 2740292(FAX) email: pd.rghs@rajasthan.gov.in

F-6(58)RGHS/VIGILANCE-II/POLICY DECISION/2024-25/ 18274 DATE 17-03-2025

Advisory for RGHS Doctor Prescription

(Applicable to Both Private and Government Hospitals)

This advisory outline the standardized procedure for filling out prescriptions under the RGHS (Rajasthan Government Health Scheme) for all patients. Strict adherence is expected from all doctors to ensure clarity, accountability, and compliance with regulations.

1. Every physician should prescribe drugs preferably in capital letters and he/she shall ensure that there is a rational prescription and use of drug.

2. All prescriptions should include a brief notation of purpose.

A. Patient History

- Include a brief summary of the patient's medical history.
- Past Chronic Diseases: Mention any known chronic conditions (e.g., diabetes, hypertension, asthma, etc.).

B. Chief Complaints (C/O)

- Clearly document the primary complaints presented by the patient during the consultation.

C. Investigations

- Note down all investigations advised or conducted. (Example: Blood tests, imaging (X- ray, MRI, CT scan), ECG, etc.)
- Include any pending investigation results or follow-up requirements.

D. Admission Time Vitals

- Record vitals at the time of admission.
- Temperature.
- Pulse Rate.
- Blood Pressure.
- Respiratory Rate.
- Oxygen Saturation (SpO2).

3. Doctor's Responsibility Clause

- Ensure that the prescription bears the seal and signature of the prescribing doctor.
- Accountability Clause:
- If the seal and signature of the Head of Department (HOD) is placed on the prescription or report, the HOD is solely responsible for any misconduct or malpractice.
- The HOD cannot transfer blame to any junior resident doctor or subordinate staff.

4. If a doctor is prescribing the drugs on hospital pad, then must put a stamp below signature mentioning Full name, qualification and registration number (RMC).

- Doctor's Full Name:
- Qualifications
- Reg. No.

5. Additional Instructions
   - Use clear and legible handwriting for prescriptions.
   - Avoid abbreviations unless they are universally accepted.
   - Overwriting on a prescription should be avoided. In case of overwriting Doctor must initial each correction.
6. Provide detailed treatment plans, including medication dosage and duration.
   - Doctors in prescription should clearly mention -Full name of drug in capitals.
   - Dosage form, Strength / Potency (For FDCs – of each ingredient).
   - Dose to be taken.
   - Frequency of administration
   - Duration of therapy.

7. Investigations/Medicine must be prescribed by the relevant department only.

Note: Any deviations from this advisory may attract scrutiny, and the responsible doctor will be held accountable for any errors or mismanagement.

SHIPRA VIKRAM
PROJECT DIRECTOR (RGHS)

राजस्थान सरकार

कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना,

(राजस्थान स्टेट हैल्थ ऐश्योरेंश एजेन्सी)

वित्त–भवन, डी–ब्लॉक, द्वितीय तल, जनपथ, ज्योतिनगर, जयपुर

फोनः–2740219, 2740252, 2740292(फैक्स) email: pd.rghs@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– F-6(58)RGHS/VIGILANCE-II/POLICY DECISION/2024-25/ 18274 दिनांकः– 17-03-2025

आरजीएचएस डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के लिए सलाह
(निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों पर लागू)

यह सलाह सभी रोगियों के लिए आरजीएचएस (राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना) के तहत् प्रिस्क्रिप्शन भरने की मानकीकृत प्रक्रिया को रेखांकित करती है। स्पष्टता, जवाबदेही और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी डॉक्टरों से सख्त अनुपालन की अपेक्षा की जाती है।

1. प्रत्येक चिकित्सक दवाओं को स्पष्ट रूप से और अधिमानतः बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए और उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दवा का तर्कसंगत प्रिस्क्रिप्शन और उपयोग हो।

2. सभी प्रिस्क्रिप्शन में उद्देश्य का संक्षिप्त अंकन शामिल होना चाहिए।

A. रोगी का इतिहास

- रोगी के चिकित्सा इतिहास का संक्षिप्त सारांश शामित करें।
- पिछली पुरानी बीमारियाँ : किसी भी ज्ञात पुरानी स्थिति (जैसे, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अस्थमा, आदि) का उल्लेख करें।

B. मुख्य शिकायतें (C/O)

- परामर्श के दौरान रोगी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक शिकायतों को स्पष्ट रूप से प्रलेखित करें।

C. जांच

- सलाह दी गई या आयोजित सभी जांचों को नोट करें। उदाहरणः रक्त परीक्षण, इमेजिंग (एक्स–रे, एमआरआई, सीटी स्केन), ईसीजी, आदि
- किसी भी लंबित जांच के परिणाम या अनुवर्ती आवश्यकताओं को शामिल करें।

D. भर्ती के समय महत्त्वपूर्ण जानकारी

- भर्ती के समय महत्वपूर्ण जानकारी रिकॉर्ड करें।
- तापमान।
- पल्स रेट।
- बीपी।
- श्वसन दर।
- ऑक्सीजन लेवल (SpO2)

3. डॉक्टर की जिम्मेदारी

- सुनिश्चित करें कि प्रिस्क्रिप्शन पर प्रिस्क्राइब करने वाले डॉक्टर की मुहर और हस्ताक्षर हों।
- जवाबदेही खंडः
  - यदि विभागाध्यक्ष (HOD) की मुहर और हस्ताक्षर पर्चे या रिपोर्ट पर लगाए गए हैं, तो HOD किसी भी दुराचार या कदाचार के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।
  - HOD किसी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर या अधीनस्थ कर्मचारी पर दोष नहीं डाल सकता।

4. यदि कोई डॉक्टर अस्पताल के पैड पर दवा लिख रहा है, तो उसे हस्ताक्षर के नीचे एक मोहर लगानी चाहिए, जिसमें पूरा नाम, योग्यता और पंजीकरण संख्या (RMC) का उल्लेख हो।

- डॉक्टर का पूरा नाम
- योग्यता
- पंजीकरण संख्या

5. अतिरिक्त निर्देश

- पर्चे के लिए स्पष्ट और सुपाठ्य लिखावट का उपयोग करें।
- संक्षिप्तीकरण से बचें, जब तक कि वे सार्वभौमिक रूप से स्वीकार न किए जाएं।
- पर्चे पर ओवरराइटिंग से बचना चाहिए। ओवरराइटिंग के मामले में डॉक्टर को प्रत्येक सुधार पर हस्ताक्षर करना चाहिए।

6. दवा की खुराक और अवधि सहित विस्तृत उपचार योजनाएँ प्रदान करें।

- डॉक्टरों को पर्चे में स्पष्ट रूप से बड़े अक्षरों में दवा का पूरा नाम लिखना चाहिए।
- खुराक का स्वरूप, शक्ति /सामर्थ्य (एफडीसी के लिए–प्रत्येक घटक की।
- ली जाने वाली खुराक।
- प्रशासन की आवृत्ति।
- चिकित्सा की अवधि।

7. जांच/दवाा केवल संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए।

नोटः इस सलाह से कोई भी विचलन जांच को आकर्षित कर सकता है, और जिम्मेदार डॉक्टर को किसी भी त्रुटि या कुप्रबंधन के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।

(शिप्रा विक्रम)
परियोजना निदेशक, आरजीएचएस

Advisory for RGHS Doctor Prescription
(Applicable to Both Private and Government Hospitals)

This advisory outline the standardized procedure for filling out prescriptions under the RGHS (Rajasthan Government Health Scheme) for all patients. Strict adherence is expected from all doctors to ensure clarity, accountability, and compliance with regulations.

1. Every physician should prescribe drugs preferably in capital letters and he/she shall ensure that there is a rational prescription and use of drug.

2. All prescriptions should include a brief notation of purpose.

A. Patient History
- Include a brief summary of the patient's medical history.
- Past Chronic Diseases: Mention any known chronic conditions (e.g., diabetes, hypertension, asthma, etc.).

B. Chief Complaints (C/O)
- Clearly document the primary complaints presented by the patient during the consultation.

C. Investigations
- Note down all investigations advised or conducted. (Example: Blood tests, imaging (X- ray, MRI, CT scan), ECG, etc.)
- Include any pending investigation results or follow-up requirements.

D. Admission Time Vitals
- Record vitals at the time of admission.
- Temperature.
- Pulse Rate.
- Blood Pressure.
- Respiratory Rate.
- Oxygen Saturation (SpO2).

3. Doctor's Responsibility Clause

- Ensure that the prescription bears the seal and signature of the prescribing doctor.
- Accountability Clause:
- If the seal and signature of the Head of Department (HOD) is placed on the prescription or report, the HOD is solely responsible for any misconduct or malpractice.
- The HOD cannot transfer blame to any junior resident doctor or subordinate staff.

Signature Not Verified

Digitally signed by Shipra Vikram
Designation : Project Director
Date: 2025.03.17 12:20:19 IST
Reason: Approved

4. If a doctor is prescribing the drugs on hospital pad, then must put a stamp below signature mentioning Full name, qualification and registration number (RMC).

   - Doctor's Full Name:
   - Qualifications
   - Reg. No.

5. Additional Instructions
   - Use clear and legible handwriting for prescriptions.
   - Avoid abbreviations unless they are universally accepted.
   - Overwriting on a prescription should be avoided. In case of overwriting Doctor must initial each correction.
6. Provide detailed treatment plans, including medication dosage and duration.
   - Doctors in prescription should clearly mention -Full name of drug in capitals.
   - Dosage form, Strength / Potency (For FDCs – of each ingredient).
   - Dose to be taken.
   - Frequency of administration
   - Duration of therapy.

7. Investigations/Medicine must be prescribed by the relevant department only.

Note: Any deviations from this advisory may attract scrutiny, and the responsible doctor will be held accountable for any errors or mismanagement.

Signature Not Verified

Digitally signed by Shipra Vikram
Designation : Project Director
Date: 2025.03.17 12:20:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14182928

आरजीएचएस डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के लिए सलाह
(निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों पर लागू)

यह सलाह सभी रोगियों के लिए आरजीएचएस (राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना) के तहत् प्रिस्क्रिप्शन भरने की मानकीकृत प्रक्रिया को रेखांकित करती है। स्पष्टता, जवाबदेही और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी डॉक्टरों से सख्त अनुपालन की अपेक्षा की जाती है।

1. प्रत्येक चिकित्सक दवाओं को स्पष्ट रूप से और अधिमानतः बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए और उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दवा का तर्कसंगत प्रिस्क्रिप्शन और उपयोग हो।

2. सभी प्रिस्क्रिप्शन में उद्देश्य का संक्षिप्त अंकन शामिल होना चाहिए।

A. रोगी का इतिहास

- रोगी के चिकित्सा इतिहास का संक्षिप्त सारांश शामित करें।
- पिछली पुरानी बीमारियाँ : किसी भी ज्ञात पुरानी स्थिति (जैसे, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अस्थमा, आदि) का उल्लेख करें।

B. मुख्य शिकायतें (C/O)

- परामर्श के दौरान रोगी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक शिकायतों को स्पष्ट रूप से प्रलेखित करें।

C. जांच

- सलाह दी गई या आयोजित सभी जांचों को नोट करें। (उदाहरणः रक्त परीक्षण, इमेजिंग। एक्स–रे, एमआरआई, सीटी स्केन), ईसीजी, आदि)
- किसी भी लंबित जांच के परिणाम या अनुवर्ती आवश्यकताओं को शामिल करें।

D. भर्ती के समय महत्त्वपूर्ण जानकारी

- भर्ती के समय महत्वपूर्ण जानकारी रिकॉर्ड करें।
- तापमान।
- पल्स रेट।
- बीपी।
- श्वसन दर।
- ऑक्सीजन लेवल (SpO2)

3. डॉक्टर की जिम्मेदारी

- सुनिश्चित करें कि प्रिस्क्रिप्शन पर प्रिस्क्राइब करने वाले डॉक्टर की मुहर और हस्ताक्षर हों।
- जवाबदेही खंडः
  - यदि विभागाध्यक्ष (HOD) की मुहर और हस्ताक्षर पर्चे या रिपोर्ट पर लगाए गए हैं, तो HOD किसी भी कदाचार या कदाचार के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है।
  - HOD किसी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर या अधीनस्थ कर्मचारी पर दोष नहीं डा[illegible]।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shipra Vikram
Designation : Project Director
Date: 2025.03.17 12:20:19 IST
Reason: Approved

4. यदि कोई डॉक्टर अस्पताल के पैड पर दवा लिख रहा है, तो उसे हस्ताक्षर के नीचे एक मोहर लगानी चाहिए, जिसमें पूरा नाम, योग्यता और पंजीकरण संख्या (RMC) का उल्लेख हो।

- डॉक्टर का पूरा नाम
- योग्यता
- पंजीकरण संख्या

5. अतिरिक्त निर्देश

- पर्चे के लिए स्पष्ट और सुपाठ्य लिखावट का उपयोग करें।
- संक्षिप्तीकरण से बचें, जब तक कि वे सार्वभौमिक रूप से स्वीकार न किए जाएं।
- पर्चे पर ओवरराइटिंग से बचना चाहिए। ओवरराइटिंग के मामले में डॉक्टर को प्रत्येक सुधार पर हस्ताक्षर करना बाहिए।

6. दवा की खुराक और अवधि सहित विस्तृत उपचार योजनाएँ प्रदान करें।

- डॉक्टरों को पर्चे में स्पष्ट रूप से बड़े अक्षरों में दवा का पूरा नाम लिखना चाहिए।
- खुराक का स्वरूप, शक्ति /सामर्थ्य (एफडीसी के लिए–प्रत्येक घटक की।
- ली जाने वाली खुराक।
- प्रशासन की आवृत्ति।
- चिकित्ता की अवधि।

7. जांच/ट्वा केवल संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए।

नोटः इस सलाह से कोई भी विचलन जांच को आकर्षित कर सकता है, और जिम्मेदार डॉक्टर को किसी भी त्रुटि या कुप्रबंधन के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shipra Vikram
Designation : Project Director
Date: 2025.03.17 12:20:19 IST
Reason: Approved